

२७ १/२५ पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उप।
दोनों पक्ष मूलवाद में प्राथमिक डिक्ली
जारी करने हेतु सहमत हैं। तथा मौखिक
बट्स में उभय पक्षों द्वारा बताया गया
कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों के मध्य
सौहार्द्रपूर्ण संबंध है। दोनों के मध्य
विभाजन व हिस्सों को लेकर वादग्रस्त
आराजी में किसी प्रकार का विवाद नहीं
है।

इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में
उभय पक्षों के मध्य विवाद नहीं है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल न्युमार लेकर नंबर से कम लेकर
दाखिल दफ्तर हो।



3
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली